प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 1338/2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका

याचिकाकर्तागण : 1. ग्राम पंचायत झलमला,

द्वारा - सचिव, ग्राम पंचायत झलमला

थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. दीपक साहू पिता भलाऊ साहू,

सरपंच, ग्राम पंचायत झलमला,

थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी क्रमांक 01 व 02

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. सहमत खान पिता इस्माइल खान, उम्र 32 वर्ष

थाना सीपत, तहसील मस्तूरी,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

वादी

2. गेंदराम गंधर्व,

निवासी- ग्राम झलमला, थाना सीपत,

तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी क्र. 03

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 1338/2005</u>

ग्राम पंचायत झलमला व अन्य

विरूद्ध

सहमत खान व अन्य

दिनांक 30.06.2005 को आदेश के लिये सूचीबद्ध करें

सही/-

एल.सी.भादू

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1338/2005

ग्राम पंचायत झलमला व अन्य

विरूद्ध

सहमत खान व अन्य

उपस्थित -

श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता याचिकाकर्तागण की ओर से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समक्ष माननीय श्री एल.सी.भादू न्यायमूर्ति

आदेश

(30 जून 2005 को पारित)

1. याचिकाकर्तागण जो तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बिलासपुर की न्यायालय मे लंबित वाद मे उत्तरवादी क्र. 01 व 02 है, ने विविध व्यवहार अपील क्रमांक 11/2005 मे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 28.03.2005 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा दायर विविध व्यवहार अपील को स्वीकार किया था और विद्वान तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.03.2005 के आदेश को अपास्त कर दिया था, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अपीलीय न्यायालय ने

याचिकाकर्तागण को निर्देश दिया कि वे उत्तरवादी क्रमांक 01 को ग्राम पंचायत झलमला के साप्ताहिक पशु मेले से कर एकत्र करने से न रोके।

2. रिट याचिका मे दिये गये संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरवादी क्रमांक 01 ने विद्वान तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बिलासपुर के न्यायालय मे एक व्यवहार वाद दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्तागण को ग्राम पंचायत झलमला के साप्ताहिक पशु मेले मे कर एकत्र करने मे कोई बाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने और वादी को इस आधार पर मेले से कर एकत्र करने से न रोकने की मांग की गई थी कि अगस्त 2004 के महीने मे ग्राम पंचायत झलमला ने एक वर्ष की अवधि के लिये संविदा के आधार पर साप्ताहिक पशु मेले से कर एकत्र करने का अधिकार दिया था, उस प्रक्रिया मे नीलामी की गई कि वादी द्वारा 1,03,000/- रूपये की उच्चतम बोली लगाने के कारण नीलामी उसके पक्ष मे स्वीकार कर ली गई थी । वादी ने नीलामी की पूरी राशि तीन किश्तो में जमा कर दी यानि दिनांक 23.08.2004 को 25,750/- रूपये, दिनांक 01.10.2004 को 30,000/- रूपये और दिनांक 11.10.2004 को 47,250/- रूपये, सरपंच ने उक्त राशि प्राप्त करने के बाद वादी के पक्ष मे रसीदें जारी की गई। तत्पश्चात् वादी को उक्त साप्ताहिक पशु मेले से कर वसूली की अनुमति दी गई थी और चूंकि ग्राम पंचायत झलमला से वादी का संविदा होने के कारण, यह प्रतिवादियों के लिये ही बंधनकारी है, क्योंकि वादी ने नीलामी की पूरी राशि पहले ही जमा कर दी है। दिनांक 12.02.2005 को उत्तरवादी क्रमांक 02 ने वादी को नोटिस भेजकर उसे साप्ताहिक पशु मेला बाजार से कर वसूलने से मना कर दिया, उत्तरवादी क्रमांक 01/वादी ने उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन, दिनांक 02.03.2005 को जब वादी एवं उसके लोग कर एकत्र कर रहे थे, साप्ताहिक पशु मेला में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 02 आया, और बाजार मे बाधायें उत्पन्न करने लगा और वादी से कर एकत्र करने से मना किया और कहा कि वादी को कर वसूलने का कोई अधिकार नही है। उत्तरवादी क्रमांक 01 ने वाद के साथ एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्य.प्र.संहिता के तहत प्रस्तुत किया एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्तागण ने उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुये कहा कि, यह कहना गलत है कि संविदा वादी को साप्ताहिक पशु मेले से कर वसूलने के लिये दिया गया था और यह भी कहना गलत है कि उक्त नीलामी की राशि 1,03,000/- रूपये ग्राम पंचायत झलमला के खाते में वादी द्वारा तथा उस समय के तात्कालीन सरपंच गेंदराम गंधर्व (उत्तरवादी क्रमांक 03) के द्वारा जमा कर दी गई थी। वादी के द्वारा नीलामी के समय जमा की गई राशि के संबंध में 10,000/- रूपये की रसीद प्रस्तुत की गई, लेकिन उक्त राशि कभी भी ग्राम पंचायत झलमला के खाते मे जमा नही हुई। जवाब मे आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि वादी ने पूर्व सरपंच के साथ मिलीभगत करके अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है , चूंकि वहां वादी और उत्तरवादी -ग्राम पंचायत के बीच मे कोई भी संविदात्मक सम्बन्ध नही है। तत्पश्चात्, जब उत्तरवादी क्रमांक 01 एवं 02 को अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई, तब उन्होनें वादी को कर वसूली के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये कहा गया, लेकिन उक्त नोटिस के अनुसरण में जब वादी उपस्थित होने में विफल रहा, तब दिनांक 28.02.2005 को ग्राम पंचायत ने वादी के संविदा को धारा 85 ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के तहत निरस्त करने का निर्णय लिया, जिसे विहित अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में पंचायत को साप्ताहिक पशु मेले से कर वसूलने का अधिकार दिनांक 01.03.2005 से प्रदान किया गया, उन्होनें दिनांक 02.03.2005 से कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है। उक्त जवाबदावा में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत और वादी के बीच कोई संविदा निष्पादित नही हुआ है, अतः वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नही होता और सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे नही है तथा यदि निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में पारित नही की जाती, तो वादी को कोई क्षति नही होगी।

3. माननीय विद्वान तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद वादी/उत्तरवादी क्रमांक 01 का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वादी यह सिद्ध करने मे असफल रहा है कि उसने ग्राम पंचायत झलमला के खाते मे नीलामी राशि जमा की है। ग्राम पंचायत के अभिलेख में नीलामी राशि जमा किये जाने का कोई भी अभिलेख नही है और उत्तरवादी क्रमांक 03 ने राशि जमा करने के संबंध में कोई प्रविष्टि नही की है। वादी के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी क्रमांक 01 ने एक विविध व्यवहार अपील दायर की। अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 85 के तहत राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, इसलिये पंचायत को दिनांक 21.08.2004 की नीलामी को निरस्त करने का कोई अधिकार नही था। यहां तक कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी ऐसा कोई आदेश पारित करने के लिये अधिकृत नही था, इससे कि ग्राम पंचायत को साप्ताहिक पशु मेले से कर एकत्र करने का अधिकारी है । वादी के पक्ष में दिनांक 28.08.2004 को उच्चतम बोलीकर्ता के रूप मे नीलामी स्वीकार की गई थी, इसलिये वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

होता है तथा सुविधा का संतुलन वादी/उत्तरवादी क्रमांक 01 के पक्ष मे है। यदि वादी को कर एकत्र करने की अनुमति नही दी जाती है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी।

4. मैंने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की तर्क सुनी। उत्तरवादी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ ।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा जो अनुतोष दी गई है, वह वादी द्वारा वाद में प्रार्थना की गई मुख्य अनुतोष प्रदान किए जाने अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा इस प्रकार की अनुतोष नही दी जा सकती, जो मुख्य अनुतोष के समान है और इस तर्क के समर्थन में उन्होनें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ व अन्य बनाम मोदी लुफ्त लिमिटेड में पारित निर्णय, जो (2003) 6 सुप्रीम कोर्ट केस 65 में प्रकाशित है तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रमेशचंद शिवहरे बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य जो 1996 (2) विधि भास्कर 177 में प्रकाशित है के मामलों का अवलंब लिया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 01 का यह कथन कि रू. 1,03,000/- की नीलामी राशि जमा की गई, निराधार है, क्योंकि कोई भी ऐसे राशि ग्राम पंचायत के बहीखाता अथवा पंजी मे जमा नही पायी गयी। उन्होनें यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश पंचायत (संविदा निष्पादन का तरीका) नियम 1995 की धारा 4 के अधीन कोई संविदा ग्राम पंचायत एवं उत्तरवादी क्रमांक 01 के मध्य निष्पादित नही किया गया, इस प्रकार दोनो के मध्य कोई वैध एवं लागू करने योग्य संविदा अस्तित्व मे नही था।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की तर्क सुनने के पश्चात्, मैनें अभिलेख तथा माननीय तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पारित आदेशों का अवलोकन किया। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा देने की विवेकाधीन शक्ति का जो प्रयोग विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है, उसमे अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना सोचे विचारे हस्तक्षेप नही किया जा सकता, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रत्यक्ष रूप से विकृत, विधि के स्थापित सिद्धांतो एवं अभिलेखो के प्रतिकुल न हो। इस उद्देश्य हेतु, हमे वाद की परिस्थितियों की समीक्षा करनी होगी कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 01 ने अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को प्रमाणित किया है।

7. कार्यवाही की प्रति (अनुलग्नक-पी/2) जो उत्तरवादी गण/याचिकाकर्तागण द्वारा इस रिट याचिका के साथ प्रस्तुत की गई है, जो यह प्रगट करती है कि दिनांक 21.08.2004 को पंचायत की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक मे पंचायत ने वर्ष 2004-2005 हेतु साप्ताहिक पशु मेला के कर एकत्रित करने के अधिकार को नीलामी के माध्यम से देने का निर्णय लिया तथा उसी दिन यह प्रस्ताव ग्राम कोटवार के माध्यम से ग्रामीणों को अवगत कराया गया, उक्त के अनुसरण मे दिनांक 23.08.2004 को नीलामी सम्पन्न की गई, जिसमें तीन व्यक्तियों रामजी यादव, समीर अहमद एवं उत्तरवादी क्रमांक 01 ने भाग लिया, प्रत्येक प्रतिभागी ने 10,000/- रूपये की धनराशि जमा की और उत्तरवादी क्रमांक 01 के द्वारा लगायी गई 1,03,000/- रूपये की बोली को सर्वाधिक बोली होने के कारण स्वीकार किया गया, तथा उसे दिनांक 23.08.2004 से 22.08.2005 तक के लिये सप्ताहिक पशु मेले से कर एकत्र करने का अधिकार उत्तरवादी क्रमांक 01 को दिया गया। उक्त कार्यवाही पर सरपंच, पंचो एवं अन्य व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हुये है, तत्पश्चात् उत्तरवादी क्रमांक 01 ने निविदा राशि तीन किश्तों में दिनांक 23.08.2004 को 25,750/- रूपये, 01.10.2004 को 30,000/- रूपये और 11.10.2004 को 47,250/-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूपये को तत्कालीन सरपंच के समक्ष जमा कर दिया और तत्कालीन सरपंच/ उत्तरवादी क्रमांक 02 द्वारा रसीद दी गई, जिसमें उसके हस्ताक्षर तथा उक्त ग्राम पंचायत के मुहर लगी थी, उत्तरवादी क्रमांक 02 जो कि वैध रूप से निर्वाचित तात्कालीन सरपंच थे , कभी भी इन तथ्यों से इंकार नही किया है। उत्तरवादी क्रमांक 01 ने कर एकत्र करना प्रारंभ कर दिया और फरवरी 2005 तक कर एकत्र करना जारी रखा, फरवरी 2005 में नयी पंचायत के गठन के लिये चुनाव होने के बाद ही चीजे बदलनी शुरू हुई और याचिकाकर्ता क्रमांक 02 को ग्राम पंचायत झलमला का सरपंच चुना गया। यह सच हो सकता है कि उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा जमा की गई 1,03,000/- रूपये की उक्त नीलामी राशि को तात्कालीन सरपंच उत्तरवादी क्रमांक 03/उत्तरवादी क्रमांक 02 द्वारा पंचायत रजिस्टर या बहीखाता मे दर्ज नही किया गया हो , जिन्होने उत्तरवादी क्रमांक 01 से उक्त राशि एकत्र की थी, लेकिन इस कारण से यह नही कहा जा सकता है कि उत्तरवादी क्रमांक 01 ने राशि जमा नही की थी। ग्राम पंचायत ने उत्तरवादी क्रमांक 01 की बोली स्वीकार कर ली और इसके अनुसरण मे उसने बोली की राशि तीन किश्तों में तात्कालीन सरपंच के पास जमा कर दी, जिसमें उस राशि को जमा करने के प्रतीक के रूप में वैध रसीदे जारी की। हालांकि, यदि उत्तरवादी क्रमांक 03/उत्तरवादी क्रमांक 02 ने उस राशि का गबन किया था और उसे ग्राम पंचायत के खाते मे जमा नही किया था, तो संबंधित प्राधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते है, लेकिन उन्हें पशु मेले से कर संग्रह के संबंध में उत्तरवादी क्रमांक 01 के अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है, क्योंकि उसकी बोली स्वीकार किये जाने के बाद विधिक रूप से उसे यह सौंप दिया गया था। याचिकाकर्तागण द्वारा इस बात से इंकार नही किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 02 ने उक्त राशि एकत्र नही की और रसीद जारी नही की, जिसे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिये उत्तरवादी क्रमांक 01 अपने पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाने मे सक्षम था।

8. जहां तक निविदा अनुबंध के गैर-निष्पादन का संबंध है, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 01 के अधिकार मे हस्तक्षेप करने के हकदार नही है, क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 01 की बोली को स्वीकार कर लिया गया था, बोली की राशि उसके द्वारा जमा कर दी गयी थी, इसलिये, नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 को दृष्टिगत रखते हुए निविदा अनुबंध को निष्पादित करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य था। चूंकि पूर्व सरपंच ने उत्तरवादी क्रमांक 01 से पूरी नीलामी राशि पहले ही एकत्र कर ली थी और उसके बदले मे रसीद जारी कर दी थी, अब मौजूदा पंचायत यह बचाव नही ले सकती कि चूंकि पक्षकारो के बीच समझौता निष्पादित नही हुआ है, इसलिये उत्तरवादी क्रमांक 01 साप्ताहिक पशु मेला से कर एकत्र करने का हकदार नही है। इसके अलावा अधिनियम 1993 की धारा 85 के प्रावधानों के अनुसार केवल राज्य सरकार या निर्धारित प्राधिकारी ही ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव के निष्पादन को निलंबित करने का हकदार है। प्रस्ताव के लगभग 06 महिने बीत जाने के बाद ग्राम पंचायत दिनांक 21.08.2004 के प्रस्ताव की समीक्षा करने का हकदार नही थी, वह भी बिना किसी वैध कारण के। इसलिये उत्तरवादी क्रमांक 01 अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाने के पक्ष में सक्षम है और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष मे है, क्योंकि उसने पूरी नीलामी राशि जमा कर दी थी, इसलिये उसे साप्ताहिक पशु मेला बाजार से कर एकत्र करने का अधिकार है और यदि कर एकत्र करने से उसके अधिकार में कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो यह उत्तरवादी क्रमांक 01 के विधिक अधिकारों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्तक्षेप होगा, जो उसे पंचायत द्वारा आयोजित नीलामी में प्रदान किये गये थे। इसलिये यदि उसे कर एकत्र करने से रोका जाता है तो इससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी।

9. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये प्रश्न पर आते है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से अनुतोष प्रदान नही की जा सकती, जो मुख्य अनुतोष के बराबर है। यह सत्य है कि यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है, लेकिन यह भी स्थापित विधि है कि जहां मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, वादी के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जो अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने का औचित्य साबित करता है, तो वह भी जारी की जा सकती है और यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है और जब तक प्रकरण का निराकरण नही हो जाता, तब तक वादी द्वारा मांगी गई अनुतोष निष्फल हो जायेगी, साथ ही ऐसे मामलो मे जहां शिकायत की गई, क्षति तत्काल और गंभीर है और वाद के निर्णय मे विलंब के कारण वादी को अत्याधिक कठिनाई होगी, उस स्थिति में, न्यायालय इस संबंध मे, अपवादस्वरूप प्रकरण को देखते हुये अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। **देवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2004) 4 एस.सी.सी. 697** मे प्रकाशित मामले से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मेरा मत पुष्ट होता है, जिसमे कहा गया:-

> “ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां अंतरिम अनुतोष प्रदान करना स्वयं अंतिम अनुतोष प्रदान करने के समान होता है, और फिर भी ऐसे विपरीत मामले हो सकते है, जहां अंतरिम अनुतोष को रोकना मुख्य याचिका को खारिज करने के समान होगा क्योंकि, जब तक मुख्य प्रकरण सुनवाई के लिये आता है, तब तक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता को अनुतोष के रूप में दी जाने वाली कोई चीज नही बचेगी, भले ही सभी निष्कर्ष उसके पक्ष मे हो। ऐसे प्रकरणों में प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक उच्च मानक के एक बहुत मजबूत प्रथम दृष्टया मामले की उपलब्धता, सुविधा के संतुलन और अपूर्णीय क्षति के विचार मामले के संतुलन को पूरी तरह से आवेदक के पक्ष में जबरदस्ती झुकाते है, जिससे न्यायालय को अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के लिये राजी किया जा सकता है, हालांकि यह स्वयं अंतिम अनुतोष प्रदान करने के समान है। बेशक, ऐसे मामले दुर्लभ और अपवादस्वरूप होंगे। न्यायालय ऐसी अंतरिम अनुतोष तभी प्रदान करेगा जब उसे यह संतुष्टि हो कि उसे रोकना न्यायालय की अंतरात्मा को चोंट पहुंचायेगा और न्याय की भावना पर आघात करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पुरी सुनवाई के दौरान अन्याय जारी रहेगा, और अंत मे न्यायालय न्याय के सही कारणों को साबित करने में सक्षम नही होगा। जाहिर है कि ऐसे मामले दुर्लभ होंगे, बाध्यकारी परिस्थितियों के साथ, जहां शिकायत की गई, चोंट तत्काल व दबावपूर्ण है और अत्याधिक कठिनाई का कारण बनेगी। पक्षकारो के आचरण को भी देखना होगा और न्यायालय पक्षकार को ऐसी शर्तो पर रख सकती है जो विवेकपूर्ण हो सकती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, यदि हम वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर गौर करें, जैसा कि इस दस्तावेज में पहले भाग में चर्चा की गई है, ग्राम पंचायत झलमला ने दिनांक

23.08.2004 को साप्ताहिक पशु मेला बाजार से कर एकत्र करने की अधिकार की नीलामी की। याचिकाकर्ता की बोली सबसे अधिक होने के कारण उसे स्वीकार कर लिया गया और उसने पूरी नीलामी राशि ग्राम पंचायत झलमला के तात्कालीन सरपंच के समक्ष जमा कर दी, उसके बाद उसे दिनांक 23.08.2004 से कर एकत्र करने की अनुमति दी गई और वह अपने अधिकार के अनुसार फरवरी 2005 तक लगातार कर एकत्रित करता रहा। हालांकि प्रतिवादियों ने अचानक बिना किसी वैध आधार के याचिकाकर्तागण को कर एकत्र करने से रोक दिया और हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में मेरा मानना है कि अपीलीय न्यायालय ने विधिवत रूप से अपील स्वीकार की तथा याचिकाकर्तागण को पशु मेला बाजार से कर एकत्र करने के अधिकार मे हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिणामस्वरूप, याचिका में कोई सार नही है, यह खारिज किये जाने योग्य है और तदानुसार इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-
एल.सी.भादू
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Translated by- Aakash Kumar Singh